

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, मझवारा, मऊ के भवन निर्माण कार्य के लिये चालू अंश के रूप में रू0-405.07 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11268/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.12.16 व शासनादेश संख्या-60/2017/3161/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 15.02.17 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, मझवारा, मऊ के भवन निर्माण कार्य के लिये प्रेषित विस्तृत आगणन के आधार पर रू0-505.07 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, लेकिन मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी।

2- अतएव आपके उक्त प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, मझवारा, मऊ के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 15.02.17 द्वारा स्वीकृत कुल लागत के आधार पर अवशेष धनराशि रू0-405.07 लाख (रूपया चार करोड़ पाँच लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-60/2017/3161/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।
- (5) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-60/2017/3161/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104-सामु0स्वा0केन्द्र-03 सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।


4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
/
(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 63 /2017/35⁺ (1)/पाँच-6-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मऊ ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ ।
- 5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 7- निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 8- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 9- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मऊ ।
- 10- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- 11- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- ✓ 12- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, सुनवा, फैजाबाद के भवन निर्माण कार्य के लिये चालू अंश के रूप में रू0-451.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11268/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.12.16 व शासनादेश संख्या-61/2017/3161(क)/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 15.02.17 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, सुनवा, फैजाबाद के भवन निर्माण कार्य के लिये प्रेषित विस्तृत आगणन के आधार पर रू0-608.26 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, लेकिन मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी।

2- अतएव आपके उक्त प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, सुनवा, फैजाबाद के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 15.02.17 द्वारा स्वीकृत कुल लागत के आधार पर अवशेष धनराशि रू0-451.05 लाख (रूपया चार करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-61/2017/3161(क)/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।
- (5) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-61/2017/3161(क)/पांच-6-16-38(नि0)/14 दिनांक 15.02.17 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-104-सामु0स्वा0केन्द्र-03 सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या- 64 /2017/357⁽³⁾ (1)/पाँच-6-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद ।
- 5- वित्त नियंत्रक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य , उ0प्र0, लखनऊ ।
- 6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 7- निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य , उ0प्र0, लखनऊ ।
- 8- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य , उ0प्र0, लखनऊ ।
- 9- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, फैजाबाद ।
- 10- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- 11- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- 12- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

M

(राम नगीना मौर्य)

संयुक्त सचिव

५